

संख्या: 436358/III(2)/2026-E-17580/2022

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 सितम्बर, 2026

विषय: जनपद देहरादून के अंतर्गत लोकभवन, उत्तराखण्ड में विभिन्न कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, वि0/यां0, देहरादून द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिसके अंतर्गत लोकभवन, देहरादून में विभिन्न कार्यों की कुल लागत ₹ 596.65 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई कुल धनराशि ₹ 596.65 लाख (₹ पांच करोड़ छियाणवे लाख पैसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹ 238.66 लाख (₹ दो करोड़ अड़तीस लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

धनराशि (लाख ₹ में)

क्र०	कार्य का नाम	लागत	प्रथम किश्त (40 प्रतिशत)
1	FOR SITC OF INTEGRATED VISUAL SYSTEM, SOUND SYSTEM , STAGE LIGHT AND DRAPERY SYSTEM AT AUDITORIUM IN LOK BHAVAN , DEHRADUN. AT RAIPUR , DISTT. DEHRADUN (EDPR ID-10968)	299.24	119.70
2	FOR RENOVATION AND INTERIOR DEVELOPMENT OF CONFERENCE ROOM INCLUDING DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF INTEGRATED AUDIO VISUAL AND DIGITAL CONFERENCING SYSTEM AT CONFERENCE ROOM, LOKBHAVAN, DEHRADUN. AT RAIPUR , DISTT. DEHRADUN (EDPR ID-10919)	297.41	118.96
	योग	596.65	238.66

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

- I. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- II. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो आहरण नहीं किया जायेगा, अर्थात् दोहराव की स्थिति न हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाए।
- III. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- IV. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- V. कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- VI. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- VII. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- VIII. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- IX. यदि विषयगत कार्यों को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- X. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॉक्च्योरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- XI. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में

निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

- XII. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या. 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- XIII. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या. 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- XIV. कार्यस्थल के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय-समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाए।
- XV. निविदा आमंत्रित करने से पूर्व सभी मदों की उपयुक्त विशिष्टियों को अंकित करते हुए इपसस वनिंदजपजल को अधिशासी अभियन्ता से अनुमोदित करवा लिया जाय ताकि किसी प्रकार की आनुबांधिक विवाद उत्पन्न न हो एवं लेखा परीक्षण में शंशय न रहे।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80 सामान्य-051 लोक निर्माण (राजभवन)-53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।
3. ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/436317 /2026 दिनांक 28 सितम्बर, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 29-09-2026
10:36:46

भवदीय

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, वि0/यां0, देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, वि0/यां0, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आवंटन पत्र संख्या -I/436358/2026
अनुदान संख्या -022आवंटन आई डी-S26090220087
आवंटन पत्र दिनांक-29-SEP-2026

लेखा शीर्षक

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
051-निर्माण
00--80-सामान्य
05-लोक निर्माण (राजभवन)

Charged

4	0	5	9	8	0	0	5	1	0	5	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				40010000		23866000		0		63876000		
योग				40010000		23866000		0		63876000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,38,66,000 (Rupees Two Crores Thirty Eight Lacs Sixty Six Thousand Only)
Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, “नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: plhodpwduk@gmail.com

पत्रांक-1242/20याता०क (वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक-5 अक्टूबर 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, वि०या०- देहरादून ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, .../11.....वृत्त, लोक निर्माण विभाग, वि०या०- देहरादून ।
3. अधिशासी अभियन्ता, वि०या०- खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून